॥ॐ श्री सद्गुरवे नमः॥

Part-I / Paper-I

LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY

OR

LAW OF SUBSTITUTION

OR

Consumer's Equilibrium According TO MARSHALL

Dr. AMAR KRISHNA
Deptt. of Economics
SRAP College,
Barachakia

Ques. Make out a case for going back to the Marshallian approach to the theory of demand.

[माँग सिद्धान्त की मार्शलीय पद्धति को पुनर्प्रतिष्ठित करने के पक्ष में अपना तर्क दें।]

Ans.

मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं, किन्तु उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। अतः मनुष्य अपने सीमित साधनों से असीम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। फिर भी, वह अपने सीमित साधन को इस तरह व्यय करना चाहता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते समय वह कम उपयोगी वस्तु के बदले अधिक उपयोगी वस्तु का प्रतिस्थापन (Substitution) कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सम-सीमान्त उपयोगिता नियम [Law of Equi-Marginal Utility] हमारे इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में, यह नियम यह बताता है कि एक उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है अर्थात् वह अपने सीमित आय को किस प्रकार व्यय करें कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो।

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का उल्लेख सर्वप्रथम 1854 ई० में Germany के अर्थशास्त्री Sir H. H. Gossen ने अपने द्वितीय नियम में किया था। इसलिए इसे Gossen का दूसरा नियम (Second Law of Gossen) भी कहा जाता है।

Marshall ने अपनी पुस्तक "Principles of Economics" में इस नियम की इस प्रकार परिभाषा दी है :- "यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जो अनेक प्रयोगों में लाई जा सके तो वह उसे विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बाँटेगा कि उसकी सीमान्त उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे, क्योंकि यदि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभ प्राप्त कर सकता है।"

[If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. For if it had a greater marginal utility in one use than other he would gain by taking some of it from the second uses and applying it to the first.]

मार्शल की उपर्युक्त परिभाषा यद्यपि वस्तु के सम्बन्ध में दी गई है, परन्तु यदि वस्तु के स्थान पर द्रव्य का प्रयोग किया जाए तो यह द्रव्य के सम्बन्ध में भी लागू होती है। द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिसको अनेक प्रयोगों में बाँटा जा सकता है अर्थात् विभिन्न वस्तुओं पर व्यय किया जा सकता है। द्रव्य के सम्बन्ध में इस नियम का कथन इस प्रकार दिया जा सकता है :- एक व्यक्ति अपनी सीमित आय या द्रव्य से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए द्रव्य की अन्तिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता अर्थात् सीमान्त उपयोगिता समान हो।

नियम की मान्यताएँ [Assumption of the Law] :-

यह नियम भी अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे :-

1. इस सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि मुद्रा और आय की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी इनकी सीमान्त उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
2. यह नियम इस बात की भी कल्पना कर लेता है कि प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील होता है तथा वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता की गणना कर अपनी आय को खर्च करता है।
3. उपभोक्ता अपनी मुद्रा को बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में व्यय करता है। एवं
4. उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है।

उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा नियम का स्पष्टीकरण :-

माना कि एक व्यक्ति के पास 8 रुपये हैं, जिन्हें वह दो वस्तुओं गेहूँ और चीनी पर व्यय करना चाहता है। इन दोनों वस्तुओं पर प्रत्येक एक रुपये के व्यय करने से प्राप्त उपयोगिताएँ निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैं :-

द्रव्य (रु) की इकाईयाँ	गेहूँ से उपयोगिता	चीनी से उपयोगिता
1	18 [1]	14 [3]
2	16 [2]	12 [5]
3	14 [4]	10 [7]
4	12 [6]	8
5	10 [8]	6
6	8	4
7	6	2
8	4	0

इस उदाहरण में उपभोक्ता सर्वप्रथम एक रुपये को उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे उसको अधिकतम उपयोगिता मिलती है। तालिका से स्पष्ट है कि रुपये की पहली इकाई वह गेहूँ पर व्यय करेगा, क्योंकि उसे 18 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलती है। दूसरे रुपये को भी वह गेहूँ पर व्यय करेगा। तीसरे रुपये को वह गेहूँ या चीनी में से किसी पर व्यय कर सकता है क्योंकि दोनों दिशाओं में समान उपयोगिता अर्थात् 14 के बराबर उपयोगिता मिलती है। माना कि तीसरा रुपया वह चीनी पर, चौथा रुपया गेहूँ पर, पाँचवा रुपया चीनी पर, छठा रुपया गेहूँ पर, सातवाँ रुपया चीनी पर तथा आठवाँ रुपया गेहूँ पर व्यय करता है। दोनों वस्तुओं पर द्रव्य की व्यय की जानेवाली इकाईयों को कोष्ठकों में दिखाया गया है। इस प्रकार उपभोक्ता 8 रुपये में से 5 रु गेहूँ पर तथा 3 रु चीनी पर व्यय करता है। द्रव्य को इस प्रकार से व्यय करने से दोनों दिशाओं से द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर अर्थात् 10 है। अतः उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यह सिद्धान्त दो से अधिक वस्तुओं पर भी इसी प्रकार लागू होगा। इस उदाहरण को निम्न चित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है :-

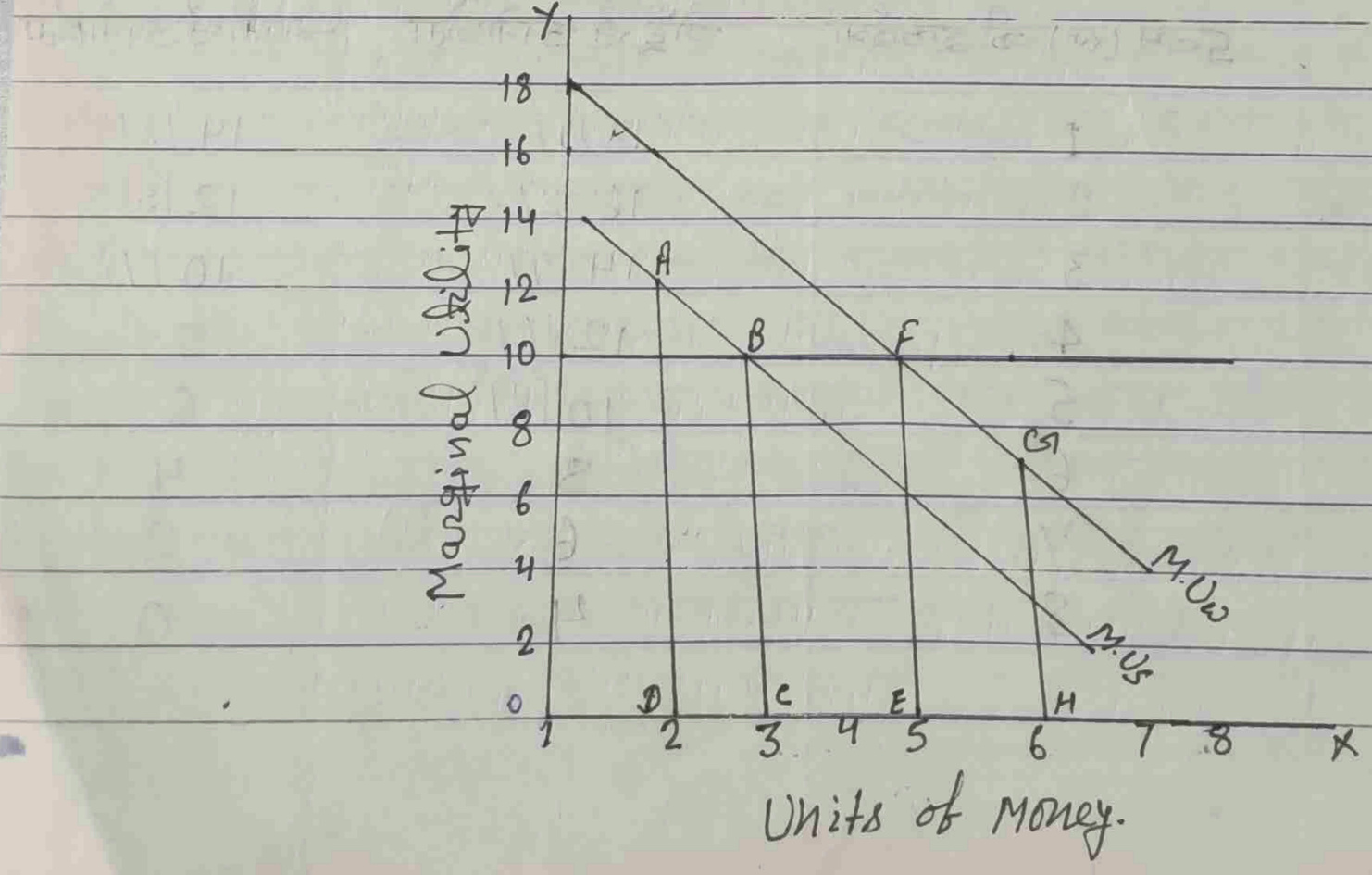

इस चित्र में दो रेखाएँ खींची गई हैं जो गेहूँ (MUw) तथा चीनी (MUs) पर द्रव्य की व्यय करने से प्राप्त होनेवाली सीमान्त उपयोगिताओं को बताती है। चित्र से स्पष्ट है कि गेहूँ पर 5 रुपये व्यय करने से द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता EF के बराबर तथा चीनी पर 5रुपये व्यय करने से द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता BE के बराबर है। ये दोनों सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर अर्थात 10 हैं और यहाँ उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है माना कि वह अपने व्यय करने के क्रम को बदलकर 5 रुपये के स्थान पर 6रुपये गेहूँ पर तथा 5रुपये के स्थान पर 4रुपये चीनी पर व्यय करता है। ऐसा करने से उसे EFGH के बराबर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है और ABCD के बराबर कुल उपयोगिता में हानि होती है। स्पष्ट है कि हानि - लाभ की अपेक्षा अधिक है। अतः उपभोक्ता को अधिकतम लाभ तभी होगा, जब द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताएँ दोनों दिशाओं से बराबर हो।

आनुपातिकता के नियम के रूप में इस नियम की आधुनिक व्याख्या

आधुनिक अर्थशास्त्री सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को आनुपातिकता के नियम के रूप में बताते हैं। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाईयाँ उस स्थान तक खरीदता है जब तक कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए दी जाने वाली कीमत के बराबर न हो जाए अर्थात् वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत में अनुपात इकाई के बराबर होनी चाहिए। जैसे:- यदि किसी वस्तु A से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 7रुपये के बराबर हो और उसकी कीमत 7रुपये है तो उपयोगिता तथा कीमत में अनुपात ($\frac{7}{7}=1$) इकाई के बराबर होगा। इसी प्रकार उपभोक्ता दूसरी वस्तु B को उस सीमा तक